

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 04/2025 अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

ईशराराम बनाम करनाराम व अन्य

पीठासीन अधिकारी - श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील - श्री फतासम गोदारा

विप्रार्थीगण वकील - एकतरफा

-: निर्णय :-

दिनांक - 11.11.2025

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा पोसाल में खसरा सं. 551/171, 540/127, 550/171 रकबा कमशः 7.0971, 5.3418, 7.0901 हैक्टर, पटवार क्षेत्र बीजराड़ तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के षडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।



अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा पोसाल में खसरा सं. 551/171, 540/127, 550/171 रकबा कमशः 7.0971, 5.3418, 7.0901 हैक्टर, पटवार क्षेत्र बीजराड़ तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि दोनों पक्षों के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया

पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रणछोड़ लाल)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन